सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 3129/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नन्दसिंह पुत्र फतेहसिंह कौम राजपूत निवासी अलाम्बू तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. शम्भूसिंह पुत्र फतेहसिंह कौम राजपूत
2. श्रीमति मानकंवर पुत्री श्री फतेहसिंह कौम राजपूत
   समस्त निवासीगण अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर
3. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 177 में दर्ज खसरा नम्बर 376,449,451,452 किता 4 कुल रकबा 1.44 है. भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण का बराबर – बराबर 1/4–1/4 हिस्सा था। वादी की बहिन संपत कंवर ने वादी के हक में स्वयं का 1/4 हिसा हकत्याग कर दिये जाने से अब वादी 1/2 हिस्से का मालिक कब्जे कश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण 1 व 2 आये दिन वादी के 1/2 हिस्से को लेकर बाधा उत्पन्न करते रहते हैं एवं लडाई–झगडा करते है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वादपत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर हिस्सा संभलाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री मोहम्मद हुसैन अधिवक्ता ने पावर पेश किया। पत्रावली में दिनांक 27.01.2017 तक प्रतिवादीगण को जवाब हेतु मौका दिया गया। प्रतिवादी 1 का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी का वादी/प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त होने एवं सयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ग्राम अलाम्बू तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 177 में दर्ज खसरा नम्बर 376,449,451,452 किता 4 कुल रकबा 1.44 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी